

## लोको पायलट अनुदेश क्रमांक-03/2023

विषय : तूफान और तेज हवा में गाड़ियों के संचालन में सावधानियाँ।

मानसून पूर्व तूफान और तेज हवा के दौरान पेंटोग्राफ का ओ.एच.ई. से उलझने की घटनाएँ अक्सर हो जाती हैं। सभी लोको पायलट को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे समय में अत्यधिक सावधानी बरतें तथा अपने विवेकानुसार गाड़ी की गति भी नियंत्रित कर लें। ताकि OHE अथवा पेंटोग्राफ को कोई हानी न हो। जब कभी entanglement से बचाने हेतु panto graph को निचे करना पड़े और गाड़ी खड़ी करनी पड़े ऐसे समय में गाड़ी का बचाव GR 6.03/9.10 के अनुसार करें। ऐसी ओर इससे मिलती जुलती घटनाओं को रोकने हेतु एवं गाड़ियों के संरक्षित संचालन के संबंध में सामान्य नियम 2.11-2 में विस्तृत निर्देश दी गई है जिसका पालन सभी लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट करें।

स.नि.2.11-2

1. जब मौसम विभाग द्वारा तूफान, चक्रवात या तेज हवा के लिये चेतावनी संदेश प्राप्त होता है, या तेज हवा होने का कोई कारण या ऐसा कोई कारण जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा अथवा गाड़ी इत्यादि की सुरक्षा खतरों में हो, तो स्टेशन मास्टर, गार्ड तथा ड्राइवर से सम्पर्क स्थापित करके गाड़ी को स्टेशन पर खड़ी रखेगा और किसी भी गाड़ी को अपने स्टेशन कि ओर आने के लिये line क्लियर नहीं देगा जब तक की तूफान कम न हो जाये और वह समझता हो की स्थिति गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित है।
2. यदि गाड़ी यात्रा के दौरान चक्रवात, तूफान अथवा तेज हवा में फँस जाती है जो की ड्राइवर कि दृष्टि में गाड़ी के सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है, वह अपनी गाड़ी की गति को तुरंत नियंत्रित करेगा और वह उसे प्रथम सुरक्षित स्थान पर रोकेगा, इस बात का ध्यान रखते हुये कि गाड़ी गोलाई, या ऊँची कटीन और पुल पर (या उससे करीब) खड़ी न हो! ड्राइवर अपनी गाड़ी सावधानी पूर्वक बिना किसी झटके के खड़ी करेगा। वह अपनी गाड़ी दोबारा चलाने के पहले गार्ड से संबंध स्थापित करेगा तब जबकि चक्रवात तूफान या तेज हवा कम हो गई हो और गाड़ी चलाने के लिए सुरक्षित हो।
3. गार्ड, ड्राइवर/सहायक ड्राइवर गाड़ी में यात्रा करते हुये रेल कर्मचारियों के सहयोग से यह देखने की कोशिश करेंगे कि सवारी डिब्बों के दरवाजे खिडकियों यात्रियों द्वारा खोल दिये गए हैं और हवा कास्वतंत्र प्रवाह सवारी डिब्बों में से हो रहा है।

सभी लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें जिससे लाइन पर किसी असामान्य घटना से बचा जा सके। सभी मुख्य लोको निरीक्षक फुटप्लेट के दौरान उन्हें उपरोक्त निर्देशों बाबत काउंसलिंग करें।

मध्य रेल

मंडल कार्यालय

टी.आर.ओ, विभाग नागपुर

दिनांक : 15.05.2023

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/23

प्रतिलिपि : मु.वि.लोको.इंजी./सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: उप : मु.वि.इंजी./सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: मं.रे.प्र/अ.मं.रे.प्र नागपुर को सूचनार्थ।

: व.मं.सं.अधिकारी नागपुर को सूचनार्थ।

: मुख्य कर्मी.नियंत्रक : समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती लें।

: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलटों को काउन्सलिंग कर पावती हेतु।

: चा.प्र.के/अजनी : प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु।

: मु.क.लो.नि नागपुर: को सूचनार्थ।

: SSE/TripshedAjni को सूचनार्थ कृप्य कर्मचारियों को उचित काउन्सलिंग करें।

16/5/23

व.मं.वि.इंजी./टी.आर.ओ/नागपुर